<u>कोरियर द्वारा</u>

राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन लिमिटेड

स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर (राज0)

(दूरभाष संख्याः– 0141–5111280 फैक्स नं. 0141–2225827)

क्रमाक :आरएमएससी/लेखा/निविदा/11–12/206 दिनांकः– 01/12/2011

जिला परियोजना समन्वयक
एवं प्रभारी अधिकारी,
जिला औषधि भण्डार गृह,
राजस्थान (समस्त)

विषयः– बाह्य रोगी उपचार पत्र का नमूना एवं भण्डार प्रविष्टि की सूचना प्रेषित करने बाबत्।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आरएमएससी द्वारा बाह्य रोगी उपचार पत्र मुद्रण का पुनरादेश (Repeat Order) मै0 रेशनल बिजनेस कॉर्पोरेशन (प्रा0) लि., नई दिल्ली को क्रमांक 149 दिनांक 31.10.2011 द्वारा दिया जाकर समस्त जिलों में आपूर्ति करने हेतु निर्देशित किया गया था। अतः आपके जिलें में प्राप्त बाह्य रोगी उपचार पेडो में से randomly 2–3 बाह्य रोगी उपचार पत्र नमूने के लिए तथा संलग्नानुसार प्रारूप में भण्डार प्रविष्टि की सूचना आज ही कोरियर द्वारा आरएमएससी मुख्यालय को प्रेषित करवाना सुनिश्चित कराएँ ताकि कागज की गुणवत्ता की जाँच कराई जाकर फर्म को भुगतान की कार्यवाही की जा सके।

इस सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान कराएँ।

प्रबन्ध निदेशक

क्रमाक :आरएमएससी/लेखा/निविदा/11–12/ दिनांकः–

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एंव आवश्यक हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक, आरएमएससी, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रभारी सर्वर रूम, स्वास्थ्य भवन एवं IT कंसलटेन्ट आरएचएसडीपी, श्री विकास को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाइट एवं आरएमएससीएल की वेबसाइट पर अपलोड करें एवं संबंधित को ई–मेल भी करें।
3. रक्षित पत्रावली।

कार्यकारी निदेशक
(गुणवत्ता नियन्त्रण)

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि मै0 रेशनल बिजनेस कॉर्पोरेशन (प्रा0) लि0 दिल्ली–52 से Invoice/चालान संख्या .... दिनांक.................. के द्वारा बाह्य रोगी उपचार पत्र पैड संख्या ....एवं बाह्य रोगी उपचार पत्र संख्या .... दिनांक .... को सही व दुरूस्त स्थिति में प्राप्त कर ली गई है एवं भण्डार पंजिका के पृष्ठ संख्या ....दिनांक .... पर दर्ज कर दी गई है।

हस्ताक्षर मय कार्यालय की मुहर
जिला परियोजना समन्वयक
एवं प्रभारी अधिकारी
जिला औषधि भण्डार गृह ....